वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 15.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स, यूनाइटेड भारत, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 15.10.2025

सील तोड़कर निर्माण कराने वाले पर दर्ज कराएं एफआईआर

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने मंगलवार को वीडीए सभागार में रामनगर, मुगलसराय के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि सील तोड़कर किसी भी स्थल पर निर्माण कार्य किया जाता है तो तत्काल रिपोर्ट कराई जाए। जिसके बाद एफआईआर, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सके। बैठक में सचिव ने कहा कि जितने भी भवन सील किए गए हैं, मुख्य मार्गों पर हो रहे अवैध निर्माणों की रिपोर्ट जोनल अधिकारी, अवर अभियंता अपने जोन के सुपरवाइजर से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। सभी के मानचित्र स्वीकृत कराएं। विशेष ध्यान रखा जाए कि सील किए गए भवनों पर किसी भी प्रकार का निर्माण न हो। जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराएं। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। ब्यूरो

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 15.10.2025

वाराणसी विकाश प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन–5 रामनगर व मुगलसराय का 12 दिन कार्यों के प्रगति 01/10/2025 से 12/10/2025 तक विगत 3 माह के MPR व पूर्व निर्देशित बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जोन–5 के जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियन्ता राजू कुमार उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में सचिव द्वारा आलोच्य माह अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, ड्ढत्रक्र पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, विन्यास व भवन वार्ड के टॉप–10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य माह में कुल 01

शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया तथा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 200000.00 प्राधिकरण कोष में जमा किया गया द्य* सचिव महोदय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशी जमा कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया गया,सचिव ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा किजितने भी भवन सील किए गए हैं अथवा मुख्य मार्गों पर हो रहे अवैध निर्माणों की रिपोर्ट जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता अपने जोन के सुपरवाइजर से प्राप्त कर समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। सभी के मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।यह विशेष ध्यान रखा जाए कि सील किए गए भवनों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो।सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि सील तोड़कर किसी भी स्थल पर निर्माण क किया जाता है तो तत्काल रि उपलब्ध कराई जाए, जिस उपरांत एफ0आई0 आर0/ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।सचिव द्वारा जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराये ।

न्यायाधीश–दि0 15.10.2025

सचिव वाविप्रा द्वारा जोन 5 रामनगर व मुगलसराय का 12 दिन के कार्य प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ0 वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.5 ;रामनगर व मुगलसराय का 12 दिन कार्यों के प्रगति ;01.10.2025 से 12.10.2025 तक. विगत 3 माह के . पूर्व निर्देशित बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जोन.5 के जोनल अधिकारी श्री प्रकाशए अवर अभियन्ता राजू कुमार उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में सचिव महोदय द्वारा आलोच्य माह अवधि में जमा शमन मानचित्रए स्वीकृत शमन मानचित्रए तावान ध् शमन शुल्क की वसूलीए प्ळत्ै पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया ;छमहंजपअम थ्ममकइंबाद्ध पर कार्य करने हेतुए अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाहीए अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल ध् डीजलध्सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाहीए विन्यास व भवन ;वार्डद्ध के टॉप.10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। 'आलोच्य माह में कुल 01 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया तथा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 200000ण्00 प्राधिकरण कोष में जमा किया गया स' सचिव महोदय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशी जमा कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। 'सचिव ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि' जितने भी भवन सील किए गए हैं अथवा मुख्य मार्गों पर हो रहे अवैध निर्माणों की रिपोर्ट जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता अपने जोन के सुपरवाइजर से प्राप्त कर समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें।' सभी के मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।' यह विशेष ध्यान रखा जाए कि सील किए गए भवनों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो।' सचिव महोदय ने स्पष्ट किया कि यदि सील तोड़कर किसी भी स्थल पर निर्माण कार्य किया जाता है तो तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएए जिसके उपरांत एफ0आई0आर0ध्ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।;सचिव द्वारा जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराये।

यूनाइटेड भारत–दि0 15.10.2025

प्राधिकरण सचिव ने की जोन पांच की समीक्षा

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-5 (रामनगर व मुगलसराय) का 12 दिन कार्यों के प्रगति एक अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक विगत 3 माह के एमपीआर व पूर्व निर्देशित बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जोन-5 के जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियन्ता राजू कुमार उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में सचिव द्वारा आलोच्य माह अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान,शमन शुल्क की वसूली, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया पर कार्य करने हेतु, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, विन्यास व भवन (वार्ड) के टाप-10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य माह में कुल 01 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया तथा शमन शुल्क के मद में कुल 0200000 प्राधिकरण कोष में जमा किया गया। सचिव द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम धनराशी जमा कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुराने लम्बित शमन मानचित्र की फाइल को अतिशिघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। सचिव ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी भवन सील किए गए हैं अथवा मुख्य मार्गों पर हो रहे अवैध निर्माणों की रिपोर्ट जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता अपने जोन के सुपरवाइजर से प्राप्त कर समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। सभी के मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि सील किए गए भवनों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो। सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि सील तोड़कर किसी भी स्थल पर निर्माण कार्य किया जाता है तो तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, जिसके उपरांत एफआईआर, ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सचिव द्वारा जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कर शमन शुल्क जमा कराये।